

।। कार्यालय-आदेश ।।

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। सबधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुमतिना से इस कार्यालय को अवगत करावे। सबधित कार्मिकों की दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से संस्थानान्तरित स्थान पर कार्यालय करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांडमेर, जेसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं इंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। यहां पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—कार्यालय सहायक

जिला—बांसवाड़ा

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	प्रियवरण
1	देवेन्द्र कुमार जोशी	राजमार्ग चान्दरपाला	राजमार्ग माहोड़म	

पद का नाम—वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष

1	हमलता अमरवाल	राजमार्ग धाटोल	राजमार्ग बांसवाड़ा
---	--------------	----------------	--------------------

पद का नाम—वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक

1	रविंद्र चूर्ण व्यास	राजमार्ग नरवाली	राजमार्ग मोटानांद
---	---------------------	-----------------	-------------------

पद का नाम—वरिष्ठ लिपिक

1	श्री लोकेश शुक्ला	राजमार्ग बडीपडाल-धाटोल	राजमार्ग छान्दुकोइनी
2	श्री नारायण लाल जोशी	राजमार्ग कलिंजरा	राजमार्ग लिंगपुर
3	मणि लाल पद्मल	राजमार्ग सियापुर	राजमार्ग फ़ारिंदरा
4	नानु लाल राठोड़	राजमार्ग राज्जनगढ़	राजमार्ग दिलियवाला
5	श्रीलेन्द्र मेहता	राजमार्ग देवदा	राजमार्ग सुरपुर

वरिष्ठ लिपिक के क्रम संख्या 3 के अंतिमिक्त अन्त को यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिलानि—ना/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012–13/2566:

प्रतिलिपि राखनार्थे एवं पालनार्थे—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
02. सबधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____
03. सबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा।
04. सबधित संस्थाप्रधान _____
05. सबधित कार्मिक, ह्वारा संस्थाप्रधान _____
06. नोटिस बोर्ड।
07. निदेशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावड़, बांसवाड़ा एवं झगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अध्योहरताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विधय वही है, जो आदेश में अकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिश्ट नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)

जिला—बांसवाड़ा

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभिन्न विवरण
1	श्री भूपेश कुमार पुरोहित	राजमार्ग माहीड़म	रामावि टामटिया आड़ा	
2	शैली पाठक	राबाउमावि लोहारिया—गढ़ी	रामावि जानामेडी	
3	ममता जैन	रामावि चोखला	रामावि लिमथान	
4	योगिता जोशी	राबाउमावि जोलाना	राबाउमावि नवागांव	
5	श्री मुकेश चन्द्र कटारा	राउमावि टिमेडावडा—कुरालगढ़	रामावि कडेलिया	
6	श्री मनोज रिंघवी	राउमावि तलवाडा	रामावि गणाउ	
7	निशा शर्मा	मावि सागवाडिया	मावि सुंदनपुर	
8	लता गुप्ता	मावि रेल्वे स्टेशन, अलवर	मावि गमानिया हमीरा	
9	भावना जैन	रामावि कोहाला	रामावि मस्सोतेया	
10	नरसिंह डोडियार	रामावि आबापुरा	रामावि सागतलाई	
11	शान्ता यादव	राउमावि लोहारिया	रामावि भापोर	
12	सलीम खां पठान	राउमावि रेयाना	रामावि चोपासाग	
13	मनोज जोशी	राउमावि पालोदा	राउमावि तलवाडा	
14	ऋतु चोबीसा	रामावि उमराई	रामावि उपलाघण्टाला	
15	मनोज कुमार जोशी	राउमावि खोडन, बांसवाड़ा	रामावि कुमजी का पारडा बांसवाड़ा	

इन्हीं थात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


 शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
 उदयपुर मण्डल, उदयपुर
 दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शित्रिनि—मा/लदय/संरथा—ब/फा—1063/2012—13/2567
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

- 01 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
- 02 संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____ |
- 03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा।
- 04 संबंधित संस्थाप्रधान _____ |
- 05 संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____ |
- 06 नोटिस बोर्ड।
- 07 निदेशन पञ्चावली।


 शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
 उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान रवेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालौर, प्रतापगढ़, बारा बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं दुर्गपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—बांसवाड़ा

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विळिवरण
1	श्री हरीश पण्ड्या	रामावि बोरतलाब	रामावि झूपेल	
2	श्री भरत सिंह	रामावि मोहकनपुरा— कुशलगढ़	रामावि बडवासछोटी— कुशलगढ़	
3	श्री मलजी अड	रामावि कसारयाडी	रामावि लोहारियाबड़ा— कुशलगढ़	
4	श्री जितेन्द्र पाटीदार	रामावि सज्जनगढ़ वास	रामावि सुरवानिया	
5	प्रमोद कुमारी	रामावि आनन्दपुरी	रामावि सागतलाई	
6	शिला व्यास	रामावि घाटोल, बांसवाड़ा	रामावि बांसवाड़ा	
7	श्री बाबुलाल राठोड़	रामावि अमरथुन—घाटोल	रामावि बडवी	
8	प्रमिला पटेल	रामावि सज्जनगढ़	रामावि बोरवट	
9	शारदा जैन	रामावि घाटोल, बांसवाड़ा	रामावि लिमथान	
10	श्री गिरिश चंद्र भट्ट	रामावि करजी	रामावि सागतलाई	
11	पंकजबाला भट्ट	रामावि सज्जनगढ़	रामावि बांसवाड़ा	
12	जयश्री दिक्षित	रामावि बोरी	रामावि बांसवाड़ा	
13	कल्पना श्रीमाली	रामावि गढी	रामावि मसोटिया	
14	सुशीला उपाध्याय	रामावि घाटोल, बांसवाड़ा	रामावि तेजपुर	
15	पूष्पा त्रिवेदी	बामावि लोहारिया	मावि कुशलपुरा	
16	लला दोशी	बामावि जीलाना	बामावि परतापुर	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)


उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/१२

क्रमांक—शिव्वनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012-13/2568

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निमाकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हैं तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़ बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालायाड़, बांसवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—बांसवाड़ा

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	सुरेंद्र कुमार पण्डया	मावि मड़कोला भक्न	मावि चौपासांग	
2	सवलाल निनामा	उमावि गांगड़तलाई	मावि केसरपुरा	
3	निकुंज मोहन पण्डया	मावि आसोडा	मावि देवलिया	
4	अक्षय सिंह राठौड़	मावि रोहिडा	मावि भगोरा	
5	विरेंद्र सिंह चंद्रवत	मावि करणपुर	मावि भोर	
6	कांति लाल खड़िया	मावि कोटडा	मावि भगतपुरा चुडादा	
7	विनय प्रसाद प्रजापति	उमावि भीमपुर	मावि खेडा	
8	राजेंद्र प्रसाद दोसी	उमावि चांदरयाडा	उमावि नौगामा	
9	शान्ता द्विवेदी	राबाउमावि आनन्दपुरी	रामावि बेडवा	
10	पुष्पा रोकड़िया	राबाउमावि जोलाना	राबामावि नवागांव	
11	महेश चन्द्र वर्मा	रामावि भीमसार	रामावि ठिकरिया	
12	भैरु लाल डामोर	रामावि चोखला	रामावि टामटियाआडा	
13	पवन कुमार डामोर	रामावि कोटडा	रामावि पांचवाडा	
14	हरीश चंद्र जोशी	राउमावि ताम्बेसरा, बांसवाडा	रामावि सालिया, बांसवाडा	
15	प्रफुल कुमार डाकुर	राउमावि टिमेडाबडा, बांसवाडा	रामावि पाटोलिया, बांसवाडा	


इन्हैं यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिल्पि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2569

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाडा।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

गिमाकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों कमशा जिशोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं भुजरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहरताकारकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

जिला—बांसवाड़ा

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	प्रिया कलाउडवा	रामावि लोहारिया—गढ़ी	रामावि ठीकरिया	
2	श्री अमजद खान	रामावि घिरडालाई	रामावि कडेलिया	
3	राजेंद्र जोशी	मावि बडवास	मावि सुदनपुर	
4	महेंद्र सिंह राठोड़	मावि सुदाव	मावि टिमुरवा	
5	दिलीप कुमार मसार	उमावि घाटोल	मावि झातला	
6	दिनेश चंद्र जोशी	उमावि छीच	मावि कुपड़ा	
7	दीपक पण्डया	उमावि कुपड़ा	मावि पनासी छोटी	
8	गोविंद पाटीदार	उमावि चंदुजी का मडा	मावि रुजिया	
9	लोकेश नाथ रावल	उमावि फलवा	मावि आगजा	
10	कुम्हेर भगोरा	मावि आसोडा	मावि मसोटिया	
11	सुषमा जैन	बाउमावि अरधुना	मावि कुमजी का पारडा	
12	एकता जैन	बाउमावि जौलाना	मावि भगोरा	
13	भविता मेहता	रावाउमावि गढ़ी	रामावि बडगांव	
14	अनिल पण्डया	रामावि दुदका	रामावि भुघासा	
15	रमेश चन्द्र गोधा	रामावि लोडदा	रामावि कुशलपुरा	
16	केलाश चन्द्र जोशी	रामावि उमराई	रामावि ईताउडा	
17	हर्षा शर्मा	राउमावि कटुम्ही	रामावि सागतलाई	
18	दिनेश चन्द्र मेहता	राउमावि आनन्दपुरी	रामावि नवाघरा	
19	मणी लाल पटेल	रामावि तडलिया	रामावि सगडोउ	
20	चन्दु लाल यादव	रामावि बड़ीपड़ाल	रामावि मुंगाणा	
21	भंवर सिंह राव	रामावि मोर	रामावि खेड़ो की पाड़ा	
22	हरि कृष्ण पण्डया	रामावि टामटियासठोड़	रामावि पिण्डारमा	
23	आदेशवर जैन	रामावि मुडासेल, बांसवाड़ा	रामावि सवानिया, बांसवाड़ा	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिल्पि—मा/उदय/संस्था—व/फा—1063/2012—13/2570

प्रतिलिपि सूचनार्थी एवं पालनार्थी—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बाँड़े।
07. निर्देशन पत्रायली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिवधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं इंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर्ज जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। यर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम-वरिष्ठ अध्यापक (गणित)

जिला-बांसवाड़ा

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	सपिता बंसल	राबड़मावि पालोदा	रामावि भापोर	
2	संघ्या दधे	राबड़मावि लोहारिया-गढ़ी	रामावि जानामेडी	
3	श्री लोकेन्द्र गुप्ता	राबड़मावि सरेडीबड़ी	रामावि नाकोद	
4	श्री विपिन शाह	राबड़मावि माकोद	राबड़मावि सरेडीबड़ी	
5	धर्मेंद्र सोनी	मावि सालिया	मावि मसोटिया	
6	एलेक्जेंडर थॉमस	मावि बामनपाड़ा	मावि देवलिया	
7	हेमंत त्रियोदी	मावि करणपुर	मावि रुदनपुर	
8	प्रवीण कुमार शाह	मावि रोहिडा	मावि सालिया	
9	विजेद कुमार मेहता	उमावि सागवा	उमावि नोगामा	
10	केलाश कुमार जैन	रामावि बिलोदा	रामावि बामोरा	
11	योगेश चन्द्र आचार्य	राबड़मावि चन्द्रुजी कागढ़ा	रामावि मुंगाणा	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक-शिल्पि-गा/उदय/संस्था-ब/फा-1063/2012-13/2571

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निदेशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निनाकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के रामने अकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हीं तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं दूंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं पिष्य वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिधित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (उद्वी)


जिला—बासवाड़ा


क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	गौहर परवीन	राउमावि परतापुर	राउमावि पृथ्वीगंज	
2	रईस अहमद	राउमावि पृथ्वीगंज	राउमावि परतापुर	

क्रम संख्या 1 को यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

क्रमांक—शिउलि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012–13/2572
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बासवाड़ा।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/2012


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित सरस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालग्न से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों कुमाऊँ, सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बासा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं झंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर्ज जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहरताकारकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिधत नहीं चल रहा है।

पद का नाम-वरिष्ठ लिपिक

जिला-चित्तौड़गढ़

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	घोषित
1	जंकार लाल दैदा	राजमावि बान्सी	राजमावि बोहडा	
2	राधा नैरार	राबाउमावि बस्सी, चित्तौड़गढ़	राबाउमावि, भैसरोड़गढ़-चित्तौड़गढ़	
3	मोहम्मद उमर मेव	राबाउमावि गंगारार, चित्तौड़गढ़	राबाउमावि बस्सी, चित्तौड़गढ़	

इन्हें यात्रा व्यय एवं सेवाकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक : 31/5/12

क्रमांक-शिल्पि-मा/उदय/संरथा-ब/फा-1063/2012-13/2573

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवेच्छा से अनुपस्थित नहीं घल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—चितौड़गढ़

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	मिठुलाल वैरागी	रामायि खरदेवला	रामायि लक्ष्मीपुरा	
2	जगदीश गधवं	राउमायि केली-निम्बाहेड़ा	रामायि तुम्बडिया	
3	सरिता सक्सेना	रामायि बडोदिया	रामायि देवरी	
4	ओमप्रकाश पुरोहित	रामायि बनाकिया	रामायि सेमलिया	
5	दिनेश चन्द्र शर्मा	राउमायि नाहरगढ़	रामायि सुखवाड़ा	
6	प्रेमप्रकाश विजयपर्णीय	राउमायि आवलहेड़ा	रामायि नेतावलगढ़ पाछली	
7	मुखिलायार खां पठान	रामायि इंडरा	राउमायि जाशमा	
8	केलाश चन्द्र स्वर्णकार	राउमायि जयसिंहपुरा	रामायि खरदेवला	
9	निर्मला मोगरा	राबाउमायि बोहेड़ा	राबाउमायि बडीसादडी	
10	निर्मला भट्ट	राबाउमायि कनेरा	राउमायि चिकारडा	
11	लूपलाल दक	रामायि फलोदडा	राउमायि डूगला	
12	सोहन लाल बांगड़	रामायि भाणुजा	राउमायि बडीसादडी	
13	प्रतिभा शर्मा	रामायि गोदल्याहेड़ी, कोटा	रामायि शमुपुरा	
14	सुरेन्द्र चन्द्र टेलर	राउमायि विठोर	रामायि दुगार	
15	चंचल विश्नोइ	राबाउमायि बैगु	रामायि दुगार	
16	हसीना बानू अजमेरी	राबाउमायि पारसोली	राबाउमायि बैगु	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/१२

क्रमांक—शिल्पि—मा./उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2574

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।

02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।


03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चितौड़गढ़।

04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।

05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।

06. नोटिस बोर्ड।

07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

।। कार्यालय-आदेश ।।

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः शिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, द्वारा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्वैटस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवेच्छा से अनुपरिधत नहीं चल रहा है।

पद का नाम-वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला-चित्तौड़गढ़

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभिन्न
1	रामेश्वर प्रसाद मीना	रामावि ईलरा	रामावि सावी	
2	रामप्रकाश चतुर्वेदी	रामावि झारझानी	रामावि रावतगाटा	
3	उर्मिला चाष्टा	रावामावि भुपालसागर	रावाउमावि कपासान	
4	गोपाल लाल ओझा	रामावि गोविन्दपुरा	रामावि दोलतपुरा	
5	देवी लाल शर्मा	रामावि लांगच	रामावि चिक्सी	
6	राजेन्द्र कुमार चाष्टा	रामावि करजाली	रामावि रोलिया	
7	मगनी राम बलाई	रामावि गिलुण्ड	रामावि शम्पुपुरा	
8	कोशलेन्द्र कुमार त्रिपाटी	रामावि कुनवालिया	रामावि लालास	
9	हरिश कुमार श्रीमाली	रामावि नारेला	रामावि देवशी	
10	बुन्दी लाल मेहता	रामावि गोपालपुरा	रामावि डगला का खेडा	
11	राम चन्द्र शर्मा	रामावि घोसुन्दा	रामावि रावलियाखुर्द	
12	रफीक अहमद कुरेशी	रामावि नगरी	रामावि पालका	
13	बीरबल शर्मा	रामावि लाणा	रामावि फलासिया	
14	भारमेल बलाई	रामावि पारसोली	रामावि बसस्टेण्ड बैगु	
15	चंचल भटनागर	रावाउमावि बरसी, चित्तौड़गढ़	रावाउमावि, चित्तौड़गढ़	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

(Signature)
शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि-मा/उदय/संस्था-व/फा-1063/2012-13/2575

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

(Signature)
शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदरथापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिष्ठ नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (गणित)

जिला—चित्तौड़गढ़

क्र.सं.	कार्मिकारी का नाम	पर्तमान पदरथापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभिन्नरण
1	श्रीमती यन्दना झावर	राबामावि राबामावि सादा	राउमावि निम्बाहेड़ा	
2	कविता कल	रामावि सतरखण्डा	रामावि नाहरगढ़	
3	रागीता ब्रसल	राबाउमावि शहर वित्तीडगढ़	रामावि अमयपुर	
4	नवीन कुमार दशोरा	राउमावि नाहरगढ़—मदेसर	रामावि नेतावलगढ़ पाछली	
5	जगदीश चन्द्र पाठक	राउमावि टीडी, उदयपुर	राउमावि नोगावा	
6	जानकीलाल लक्ष्मार	रामावि मरमी	रामावि सोमी	
7	शान्ति लाल शर्मा	रामावि सुरपुर	रामावि दोवनी	
8	जगदीश चन्द्र पाटीदार	रामावि सहनदा	रामावि जालमपुरा	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/२

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012–13/2576
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) वित्तीडगढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांश, बांडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं झूरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अध्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। पर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम-वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

जिला-चित्तौड़गढ़

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	ईशाक अहमद	रामावि कन्नोज-भदेसर	रामावि बरसी	
2	रतन लाल सामरिया	रामावि नाहरगढ़-भदेसर	रामावि सादी	
3	अशोक कुमार चैचाणी	रामावि राजगढ़-बैंगु	राजगावि साडास	
4	रामनारायण पारिक	रामावि मुरोली	रामावि बावलास	
5	रतन लाल भाण्ड	राजगावि भट्टो का बाम	रामावि ओडुन्ड	
6	मदन लाल बलाई	राजगावि अरनोद	रामावि शम्मुपुरा	
7	रईस मोहम्मद शेख	रामावि घनेतटोकरिया	राजगावि सावा	
8	विजयेश्वर नाथ योगी	रामावि करजाली, चित्तौड़गढ़	रामावि रोलिया, चित्तौड़गढ़	
9	नन्दलाल संगीतरा	राजगावि विजयपुर, चित्तौड़गढ़	रामावि बडावली, चित्तौड़गढ़	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक-शिर्जनी-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1063/2012-13/2577

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा रास्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बौद्ध।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहरताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित हैं एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं था।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	जिला—वितौडगढ़
1	रमेश चन्द्र धाकड़	राउमावि फलया	राउमावि सामरी	
2	इन्द्रपाल सिंह	राउमावि नाहरगढ़	राउमावि कन्नौज	
3	चन्द्र शेखर त्रिपाठी	रामावि सुवानिया—गंगरार	राउमावि जालमपुरा	
4	नियति व्यास	राउमावि पुठोली	रामावि बाड़ोलिया, रावतभाटा	
5	येतन सोलंकी	राउमावि जयसिंहपुरा	राउमावि खुद	
6	संतोष शर्मा	रावामावि सिंहपुर	रामावि डगला का खेड़ा	
7	कोशल्या शर्मा	रामावि सहनवा	रामावि फाचर अहिरान	
8	जगदीश चन्द्र सुधार	रामावि भोपालसागर	राउमावि कपासन	
9	सतीश प्रकाश शर्मा	राउमावि पुरुषार्थी	रामावि काश्मोर	

पद का नाम—वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक

1	नरेन्द्र कुमार व्यास	राउमावि मण्डफिया	राउमावि कन्नौज
---	----------------------	------------------	----------------

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/१२

क्रमांक—शिउनि—गा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012-13/2578
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चितौडगढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस योई।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं ढूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अध्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—कार्यालय सहायक

जिला-ढूगरपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1.	श्री ईश्वर लाल साद	राजमार्ग धम्बोला	जिसिअ मा. ढूगरपुर	
2.	श्री नानालाल अहारी	राजमार्ग साबला	सामहा उमार्ग ढूगरपुर	

क्रम संख्या 1 के आदेश दिनांक 30.06.12 को सेवनी से होने वाले रिक्त पद के कारण दिनांक 01.07.12 से प्रभावी होंगे। इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012–13/2579
प्रतिलिपि सूचनार्थी एवं पालनार्थी—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ढूगरपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रायती।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान रवेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं झूंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को उत्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सुचना अद्योहरताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)

जिला—झूंगरपुर

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	श्री गणिष जैन	राजमार्ग घाटा का गांव	रामावि रातड़ीया	
2	श्री सुनिल सुमार फलेजा	रामावि नन्दौड़—सागवाड़ा	रामावि मेताली	
3	श्री अशोक भोई	राजमार्ग झौंथरी	रामावि सुरपुर	
4	श्री संजय चौधिरामा	राजमार्ग बोखलापाल	रामावि सुन्दरपुर	
5	केशव लाल चौधीरामा	राजमार्ग रायकी, आसपुर	राजमार्ग गोल—आसपुर	

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (गणित)

1	श्री जसवंत लाल लबाना	रामावि भेमई—सीमलवाड़ा	राजमार्ग रामसौर—सीमलवाड़ा	
2	श्री राजेन्द्र कुमार लौहार	राजमार्ग रायकी	रामावि गलियाना	
3	श्री बनवारीलाल पाटीदार	रामावि बासिया	रामावि डैयाणा	
4	श्री ईश्वर लाल गौड़	राजमार्ग बोखलापाल	रामावि सुन्दरपुर	
5	श्री नरेन्द्र कुमार चौधीरामा	राजमार्ग सुराता	राजमार्ग आतरी	
6	रविन्द्र कुमार पुरेहित	राजमार्ग मेखरेड—आसपुर	राजमार्ग पिण्डावल—आसपुर	
7	सुरेश कुमार गीणा	राजमार्ग रास्तापाल	रामावि साकरसी	
8	राजेन्द्र कुमार जैन	रामावि बिलियाबड़गामा	रामावि बणोरी	
9	दयालाल पाटीदार	रामावि दरियाटी	रामावि गडाजसराजपुर	
10	हिमेश उपाध्याय	रामावि खजुरी	रामावि बलवाड़ा	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/१२

क्रमांक—शिउनि—गा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2580

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झूंगरपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। सबधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। सबधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान रवेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं झूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।


उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधीक्षकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—झूगरपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	नाथू सिंह चौहान	राउमावि भासोर	राउमावि बनकोड़ा	
2	श्रीमती प्रवीणा भट्ट	राबाउमावि भीलूडा	राबाउमावि खडगदा	
3	श्रीमती कृष्णा पंवार	राबाउमावि खडगदा सागवाड़ा	राबाउमावि भीलूडा	
4	प्रभा गुप्ता	राबाउमावि गलियाकोट	रामावि गामठवाड़ा	
5	श्री नट्यरलाल पाटीदार	रामावि डेढ़ा	रामावि डैयाणा	
6	श्री केवलराम भगोरा	रामावि रणोली	रामावि सुरपुर	
7	श्री रणछोड़ लवाना	रामावि बेड़सा—सीमलवाड़ा	रामावि पालपादर	
8	श्री बच्चु लाल यादव	राउमावि गामडी अहाड़ा	राउमावि छापी	
9	जीव राम पटेल	राउमावि भेखरेड	रामावि नवलश्याम	
10	वेलाजी पाटीदार	रामावि माण्डली	रामावि लिखीबड़ी	
11	जेठा लाल पाटीदार	राउमावि ओबरी	रामावि गडाऊसराजपुर	
12	दिनोद मोदी	रामावि ओडवाडिया	रामावि सतीरामपुर	
13	अरविन्द कुमार शाह	रामावि पादरा	रामावि सेलोता	
14	जगत् सिंह चौहान	रामावि सरथुना	राउमावि पीठ	
15	राम शंकर शर्मा	रामावि सुराता	रामावि आसेला	
16	संतोष गरासिया	राबाउमावि बाड़ेल सागवाड़ा	राबाउमावि बिछीबड़ा	
17	मनोहर लाल मनात	रामावि महुडी	रामावि गन्धर	
18	दोलत राम पटेल	राउमावि बोडीगामावाड़ा	रामावि संधिया	
19	नरेन्द्र कुमार पटेल	राउमावि पुनाली	रामावि भेहणा	
20	बूज मोहन राणा	राउमावि माण्डली	राउमावि धम्बोला	
21	शांति लाल कटारा	राउमावि चाडोली सीमलवाड़ा	रामावि लिखीबड़ी, झूगरपुर	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिल्पि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2581

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. सबधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. सबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झूगरपुर।
04. सबधित संस्थाप्रधान _____।
05. सबधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निदेशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम-वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

जिला-डूगरपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभिन्न
1	श्री राजेन्द्र कुमार रवर्णकार	राजमावि भेखरेड-आसपुर	रामावि सेमलिया पड़या	
2	श्री महेश चंद्र शर्मा	राजमावि बोडीगामा बड़ा	रामावि वणोरी	
3	ऋतु पण्डिया	राजमावि कलीज	रामावि सुरपुर	
4	श्री जाकिर हुसेन	राजमावि दामडी	रामावि सुन्दरपुर	
5	श्रीमती रेखा गर्ग	राजमावि आसपुर	रामावि मोवाई	
6	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	रामावि खेडा सामोर	रामावि बलवाड़ा	
7	सुरेन्द्र सिंह चौहान	रामावि दुड़रिया	रामावि भचडिया	
8	मनोहर लाल यादव	रामावि खजुरी	रामावि चुण्डावाड़ा	
9	कान्ति लाल लवाना	रामावि कोचरी	रामावि सेन्डोला	
10	देवकृष्ण पण्डिया	रामावि कोलखण्डा	रामावि पुजपुर	
11	निधि पण्डिया	रामावि माल	रामावि वरसिंगपुर	
12	रमेश बन्द्र आमलिया	रामावि माडा	रामावि गन्धर	
13	बंसत कुमार गर्ग	रामावि सांसरपुर	रामावि माण्डवाखापरडा	
14	दिलीप कुमार पण्डिया	रामावि सरधुना	रामावि घुवेड	
15	भंवर लाल ननोगा	रामावि वामदरी रतनपुर	रामावि रागेला	
16	पारस पण्डिया	रामावि कतिरोर	रामावि रोलोता	
17	विक्रम सिंह पंचार	रामावि पचलासाढ़ोटा	रामावि बोडीगामाछोटा	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक-शिल्पि-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1063/2012-13/2582

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूगरपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान रखेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं दूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधीक्षकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रखेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष

जिला—दूगरपुर

क्र.सं	कर्मघारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	श्री नारायणलाल पाटीदार	राउमावि सरोदा	राउमावि चीतरी	
2	दलपत राम प्रजापति	राउमावि कनवा	राउमावि विठ्ठीवाडा	

पद का नाम—वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक

1	श्री भोगी लाल कलाल	राउमावि भाई उमावि पुनाली	राउमावि गर्ग उमावि दूगरपुर नं. 2	
2	लालशकर पाटीदार	राउमावि पीठ	राउमावि धमोला	
3	कन्हैयालाल सिकलीगर	राउमावि सिलोही	राउमावि चीतरी	

पद का नाम—वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक

1	दीपक कुमार पण्ड्या	राउमावि दूगरपुर	राउमावि पुर्कालाल	
---	--------------------	-----------------	-------------------	--

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—गा/उदय/संस्था—व/फा—1063/2012—13/2583
प्रतिलिपि सूचनार्थे एवं पालनार्थे—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दूगरपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नीटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छाया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं झुग्रपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवेच्छा से अनुपरिख्यत नहीं घल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)


जिला—प्रतापगढ़

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	श्री लक्ष्मण सिंह राणावत	रामावि दलोट	रामावि साखथलीखुर्द	
2	श्री शिवराज सिंह	रामावि साखथलीखुर्द	रामावि दलोट	
3	श्री घनश्याम रैदास	राउमावि कोटडी	रामावि खोरिया	
4	श्री राम लाल खटीक	रामावि पण्डावा	रामावि अमलावद	
5	श्री शिवशंकर शर्मा	राउमावि बारावरदा	राउमावि धमोत्तर	
6	श्री महेश शर्मा	राउमावि धमोत्तर	राउमावि बारावरदा	
7	रमेश चन्द्र खटीक	राउमावि खेरोदा, भीण्डर	रामावि आम्बीरामा	
8	शान्तिलाल भीणा	रामावि नागदी	रामावि मोटाधामनिया	
9	कान्ति लाल राठोड	राउमावि सालमगढ़	राबाउमावि दलोट	
10	शकुन्तला शर्मा	राबाउमावि अरनोद	रामावि अमलावद	
11	नारायण लाल भीणा	रामावि रोमलिया	रामावि मनोहरगढ़	
12	घनश्याम जाट	राउमावि देवगढ़	रामावि सिद्धपुरा	
13	कन्हैया लाल राना	राउमावि सालमगढ़	रामावि बीरावली	
14	कंवर लाल भीणा	रामावि नारायणखेड़ा	रामावि झासडी	
15	बृजेश पाटीदार	रामावि झासडी	रामावि नारायणखेड़ा	
16	अजय सिंह राठोड	राबाउमावि बरसाड	रामावि रम्मावली	
17	बीना मोदी	रामावि कुणी	राबाउमावि प्रतापगढ़	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

क्रमांक—शिरनि—मा / उदय / संस्था—इ / फा—1063 / 2012—13 / 2584
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/१२


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालाखाड़, बांसवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अटोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)			जिला—प्रतापगढ़	
क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभिन्न
1	श्री राजेश मेहता	राउमावि अवलोश्वर	रामावि अमलावद	
2	हरिश कुमार तम्बौली	रामावि गोमाना	राउमावि छोटीसाढ़ी	
3	राजकुमार टेलर	राउमावि रामपुरिया	रामावि पानमोड़ी	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिल्पि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2585

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पञ्चायती।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हैं तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांस, बांसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं डूगरपुर में प्रदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहरताकारकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रखेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)		जिला—प्रतापगढ़		
क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	चेन राम भेघवाल	रामायि गोमाना	रामायि मथुरातलाब	
2	गोहन लाल भीणा	रामायि धोलापानी	रामायि अमलावद	
3	महिपाल सिंह सिसोदिया	राउमायि चुपना	रामायि दीरावली	
4	सत्यनारायण चोघरी	रामायि रठाऊना	राउमायि प्रतापगढ़	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


 शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
 उदयपुर मण्डल, उदयपुर
 दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2586
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वासा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निवेशन पत्रायली।


 शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
 उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। सबधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। सबधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालायाड़, बासवाड़ा एवं डुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेपित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम-वरिष्ठ अध्यापक (गणित)		जिला-प्रतापगढ़		
क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विधिविवरण
1.	कमलेश टंकवाल	राउमावि प्रतापगढ़	रामावि कुणी	
2.	हीरा लाल रेगर	रामावि बड़ीसाखथली	रामावि धीराघली	
3.	पंकज कुमार गुप्ता	रामावि कुणी	राउमावि प्रतापगढ़	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक ३१/८/१२

क्रमांक-शिअनि-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1063/2012-13/2587
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
02. सबधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. सबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़।
04. सबधित संस्थाप्रधान _____।
05. सबधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नीटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रायली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, द्वारा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं इंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उबत शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—कार्यालय सहायक		जिला—प्रतापगढ़	
क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1	विश्ववन्धु भीणा	राजमार्ग नावली, उदयपुर	राजमार्ग अरनोद
पद का नाम—वरिष्ठ लिपिक			
2	बालू सिंह राव	रामावि जाखमयांध	रामावि घमोत्तर
3	अनिल कुमार शर्मा	रामावि गोमाना	रामावि छोटीसावडी

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2588
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़।
04. संबंधित संस्थाप्रधान
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आदेशक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण रोवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित ज़िलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़गढ़, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर ज़िला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्तें पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिधत्त नहीं चल रहा है।

पद का नाम—कार्यालय सहायक

ज़िला—राजसमन्द

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभिन्नरण
1	श्री ओम प्रकाश पुरोहित	राउमावि आगेट	राउमावि कुंवारिया	

पद का नाम—वरिष्ठ लिपिक

1	निर्दोष कुमार शाक्य	राउमावि बिनोल	रावामावि केलवा	
2	मन्द शेखर श्रीमाली	राउमावि चारमुजा	रामावि पिपरडा	
3	कुरेर सिंह राठौड़	राउमावि करोली	राउमावि सेमाल	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2589

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित ज़िला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसमन्द।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बार्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर और झालावाड़, ब्रांसवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	जिला—राजसमन्वय
1	श्री गोपी लाल स्वर्णकार	राउमावि धनेश्या	रामावि लापस्या	
2	कालु राम बुनकर	रामावि धानीन	रामावि सांगावास	
3	सतोष कुमार शर्मा	रामावि सांसेरा	रामावि गवारडी	
4	मोहन सिंह चौहान	रामावि ठिकरवासकला	रामावि मियाला	
5	रमेश चन्द्र लोहार	राउमावि शिशोदा	रामावि लालगाड़ी	
6	उदयलाल मेघवाल	राउमावि बड़ाभाणुजा	रामावि कोशीवाडा	
7	छगन लाल पूर्विया	रामावि भाणा	रामावि भावा	
8	सुमाप चन्द्र नाई	रामावि पुनावली	रामावि सनवाड़	
9	देवकी नन्दन गहलोत	राउमावि पिपलान्त्री	रामावि देवपुरा	

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (गणित)

1	भवर लाल पालीवाल	राउमावि बिनोल	राउमावि बामनटुकड़ा
2	अरालम अली	राउमावि पडासली	रामावि देवथड़ी
3	भवानी सिंह राव	रामावि पिपरडा	रामावि नेमडिया
4	गोपाल मंत्री	राउमावि रेलमगरा	रामावि सामीचा—कुम्भलगढ़
5	बद्री लाल जाट	रामावि चराना	रामावि राजपुरा
6	कमला शंकर पानेशी	रामावि धानीन	राउमावि देवगढ़
7	रात्यप्रकाश गलाव	रामावि जनावद	रामावि भाटोली
8	अमृत लाल दाधिच	रामावि पछमता	राउमावि गिलुण्ड
9	सत्यनारायण पालीवाल	राउमावि फरारा	रामावि पुनावली
10	प्रकाश चन्द्र कावरा	राउमावि साथो का खेडा	रामावि गुजोल, राजसमन्वय

योग्य—गणित के क्रम संख्या 4 के अतिरिक्त अन्य को यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

[Signature]
शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शित्तनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012–13/2590

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान—बीकानेर।

02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) ।

03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसमन्वय।

04. संबंधित संस्थाप्रधान ।

05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान ।

06. नोटिस बोर्ड।

07. निर्देशन पत्रावली।

[Signature]
शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हैं तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान रेवेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय यही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रेवेच्छा से अनुपरिधत नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	जिला—राजसमन्द
1	धन्दरु बोली	रामावि बिनोल	रामावि महासतियो की मादडी	
2	भरत कुमार आचार्य	रामावि पछमता	रामावि राजवालास	
3	शैलेश कनिक	रामावि मुण्डोल	रामावि भाणा	
4	गणपत लाल नगरखी	रामावि कोशीवाडा	रामावि टाटोल	
5	अशोक कुमार जयसवाल	रामावि बामनियाकला	रामावि श्रीदेसरकला	
6	शीखा अग्रवाल	रामावि धनेरिया	रामावि दरीबा	
7	रणछोड दास वैष्णव	रामावि कोटडी	रामावि रेलमगरा	

पद का नाम—वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक

1	श्री मोहन सिंह	रामावि छापली	रामावि दियेर
---	----------------	--------------	--------------

पद का नाम—वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष

1	सरिता धर्तुवेदी	रामावि भीम, राजसमन्द	रामावि खमनीर, राजसमन्द
---	-----------------	----------------------	------------------------

इन्हैं यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३।।५।।२

फ्रमांक—शिउनि—गा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2591

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसमन्द।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, छारा रास्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान रवेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, द्वारा, बाड़मेर, जैसलमेर, वीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं डुंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहरताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेपित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवेच्छा से अनुपस्थित नहीं था।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—राजसमन्वय


क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण:
1	श्री छालवन्द बागड़ी	रामावि कोयल—कुम्भलगढ़	रामावि सनद्याड़	
2	जगदीश घन्द्र खण्डवाल	राउमावि पीपली आवार्यान	राउमावि कांकरोली	
3	भोपाल सिंह राठोड़	रामावि आल्मा	रामावि सापोल	
4	घनश्याम शर्मा	रामावि आकोदडा	रामावि जीताप्रास	
5	आशीष विश्वा	रामावि ठिकरवासकला	राउमावि जस्साखेड़ा	
6	गणेश सिंह	रामावि बोरवा	रामावि थानेटा	
7	बाबू लाल जीनगर	रामावि कालेसरिया	रामावि ईरामण्ड़	
8	सत्यनारायण नागोरी	रामावि कुचोली—कुम्भलगढ़	रामावि तलादरी	
9	मुरलीधर शर्मा	रामावि मर्जेरा	रामावि बडगांव	
10	रूप लाल खटीक	रामावि नेडच	रामावि देवथड़ी	
11	मान सिंह	रामावि स्वादडी	रामावि कुरालपुरा	
12	जमना लाल जीनगर	राउमावि धनेरिया	रामावि जीताप्रास	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/सरथा—व/फा—1063/2012—13/2592
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—वीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसमन्वय।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा सरथाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निदेशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर